

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र संख्या- 167/11-सी- FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक- 22.07.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में उल्लिखित 15 बिन्दुओं पर कमियों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक- 1599/रेनुकूट/15-38 दिनांक 04.11.2019 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए विन्दुवार आख्या/अभिलेख निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया है:-

क्र०सं०	आपत्तियों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व की लीज की शर्तों का पालन न करते हुये उल्लंघन किया गया है। अतः संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है।
2	भूमि की भू-गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में भू-गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण-पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव के संलग्नक-31 (पृष्ठ संख्या-101) पर संलग्न करा दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव के संलग्नक-10 (पृष्ठ संख्या-50) पर संलग्न करा दिया गया है।
4	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। जबकि भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के चैप्टर-2 के पैरा-2.4(iv) में "Provisions of CA will be applicable for renewal of a mining lease, including the area broken up prior to 25.10.1980, if the same was not applied earlier". का उल्लेख है। अतः प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगूने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में धनराशि सहित अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए 185.84 हे० वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या- 8-350/87-एफ०सी० दिनांक- 30.05.1989 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- एल० 598/14-3-1989 दिनांक- 22.12.1989 द्वारा 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फिल्ड्स लि० की ककरी परियोजना द्वारा प्रभावित वन भूमि 185.84 हे० के सापेक्ष 189.836 हे० गैर वन भूमि हरदोई वन प्रभाग में उपलब्ध कराते हुए उस पर वनीकरण हेतु वांछित धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है। यदि नवीनीकरण आदेश में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कोई अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है तो इस हेतु प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फिल्ड्स लि० की ककरी परियोजना द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
5	उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

6	उपरोक्त बिन्दु संख्या- 4 के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है । अतः संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
8	एन0पी0वी0 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोतरी के उपरान्त बढी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है । अतः संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्नक-6 के रूप में संलग्न कराते हुए ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है ।
9	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न नहीं है तथा जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव भी संलग्न नहीं किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी वन अधिकार प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करा दिया गया है । जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित मूल प्रस्ताव रजिस्टर में अंकित रहता है जिसकी प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ संधारित किया गया है । रजिस्टर की मूल प्रति संलग्न किया जाना संभव नहीं है ।
10	मुख्य वन संरक्षक, की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के स्थलीय निरीक्षण संलग्न है ।
11	हार्डकापी भाग-1 व ऑनलाईन भाग-1 में परियोजना की लागत भिन्न-भिन्न है । अतः एक समान लागत अंकित करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा ऑनलाईन भाग-1 एवं हार्डकापी भाग-1 में परियोजना की लागत एक समान अंकित कर दिया गया है ।
12	हार्डकापी भाग-2 व ऑनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से संबंधित विवरण अंकित नहीं किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ककरी परियोजना द्वारा प्रभावित वन भूमि 185.84 हे0 के सापेक्ष 189.836 हे0 गैर वन भूमि हरदोई वन प्रभाग में उपलब्ध कराते हुए उस पर वनीकरण हेतु वांछित धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है । उक्त का विवरण हार्डकापी के संलग्नक-7 पर संलग्न है उसी के अनुसार ऑनलाईन भाग-2 में अंकित करा दिया गया है ।
13	मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा भाग-3 में प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की गयी है । अतः भाग-3 में प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए ऑनलाईन अपलोड करें	इस बिन्दु के अनुपालन में भाग-3 में प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है ।
14	ऑनलाईन भाग-1 में रोजगार का विवरण एवं प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 57 पर संलग्न रोजगार विवरण में भिन्नता है । अतः एक समान रोजगार का विवरण फीड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक कम्पनी नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव के ऑनलाईन भाग-1 व प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 57 पर रोजगार विवरण एक समान अंकित कर दिया गया है ।
15	प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में लीज की शर्तों के अनुसार वर्ष 2012-13 से अब तक लीज रेंट की धनराशि जमा नहीं किया गया है , जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है । आपके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । यदि प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है , तो उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दृष्टि में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही करते हुए उससे संबंधित अभिलेख संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि लीज रेंट की देयता के संबंध में वन विभाग की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- सिविल(सी) 22793/2013 व परिवर्तित अपील सिविल नम्बर - 7614/2014 उ.प्र.राज्य व अन्य बनाम नार्दन कोल फील्डस लि. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है । माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेगुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी विन्दुवार आख्या मय संलग्न सहित संशोधित प्रस्ताव एतद्सह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नकः—उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ ।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या २२२२४/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, रेगुकूट को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना, ककरी-सोनभद्र संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(रमेश चन्द्र झा) 14/11/2019
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

11	क्या वह स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का संबंधित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए हैं को संलग्न करें।	नहीं। (दिनांक 13.08.2019) का एम्पलीफिकेशन रिपोर्ट संलग्न है।
12	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।	हाँ।
13	विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	प्रस्तावित वनसंरक्षक/संरक्षक द्वारा भाग-2 में उल्लेखित के कारणों के अनुसार प्रस्तावित वन संरक्षक को स्वीकार किया गया है। इस कार्य का क्र. 2020/14-11-2019 के दिनांक 15 में दिनांक अनुसार वन संरक्षक के अनुसार संस्तुति की जाती है।

तारीख - 16.08-2019
स्थान - श्रीवास्तव

मुख्य वन अधिकारी
श्रीवास्तव क्षेत्र
श्रीवास्तव

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी

प्रस्ताव संख्या एफ.पी./यू.पी./माइन्स/29061/2017 पर जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में—

दिनांक 13.08.2019 को उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी रेनुकूट वन प्रभाग एवं नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड ककरी परियोजना के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्ताव में संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में उल्लिखित 185.84 हे० वन भूमि को पुनः नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है। वह प्रस्तावित क्षेत्र की माँग न्यूनतम एवं अपरिहार्य पायी गयी है।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर